भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3195
उत्तर देने की तारीख 19 मार्च, 2026
28 फाल्गुन, 1947 (शक)

अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में प्रदर्शन को बेहतर बनाना

3195 श्री हरभजन सिंह:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के पास आगामी अंतरराष्ट्रीय आयोजनों जैसे ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों में देश के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कोई कार्ययोजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रतिभा पहचान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) और (ख): ओलंपिक, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों (सीडब्ल्यूजी) सहित अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं की तैयारी एक सतत प्रक्रिया है। वार्षिक प्रशिक्षण और प्रतियोगिता कैलेंडर (एसीटीसी) बैठकों में ओलंपिक, एशियाई खेलों, सीडब्ल्यूजी आदि जैसे मेगा-खेल स्पर्धाओं सहित अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए खिलाड़ियों / टीमों को तैयार करने के लिए प्रशिक्षण, प्रतिस्पर्धी एक्सपोजर , कोच और विदेशी कोचों सहित सहायक कर्मियों से संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) की योजनाओं / प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया जाता है और उन्हें अंतिम रूप दिया जाता है।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय विभिन्न स्कीमों जैसे राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता स्कीम और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टीओपीएस) के माध्यम से भारतीय खिलाड़ियों / टीमों को सहायता प्रदान करता है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) सहित राष्ट्रीय

खेल परिसंघ (एनएसएफ) और भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) आगामी अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं हेतु टीमों और खिलाड़ियों की तैयारी के लिए आवश्यक सर्वोत्तम सुविधाएं, प्रशिक्षण, उपकरण सहायता के साथ-साथ पौष्टिक आहार प्रदान करने के लिए परस्पर समन्वय में कार्य करते हैं।

टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत, चयनित एथलीटों को विशेष प्रशिक्षण और प्रतियोगिता एक्सपोजर के लिए व्यापक सहायता प्रदान की जाती है। इसमें अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों के लिए धन, विदेशी और घरेलू कोचों की सेवाएं लेना, खेल विज्ञान और चिकित्सा सहायता, विशेष उपकरणों की खरीद, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी और व्यक्तिगत एथलीट आवश्यकताओं के आधार पर अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। आउट ऑफर पॉकेट भत्ता और अन्य प्रदर्शन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एनएसएफ) को सहायता स्कीम के अंतर्गत, मंत्रालय मान्यता प्राप्त एनएसएफ को खिलाड़ियों के प्रशिक्षण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जिसमें विदेश में प्रशिक्षण तथा भारत एवं विदेश में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए भी वित्तीय सहायता के साथ उनकी तैयारी के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ जैसे—पौष्टिक आहार, खाद्य पूरक, उपकरण सहायता, अत्याधुनिक अवसंरचना, आवास, यात्रा सुविधाएँ, प्रतिष्ठित भारतीय एवं विदेशी कोचों/सहायक स्टाफ की सेवाएँ, वैज्ञानिक एवं चिकित्सीय सहायता, खेल किट आदि शामिल होती हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने सहायता के मानदंडों को दिनांक 22.05.2025 को संशोधित किया है। स्कीम के तहत संशोधित मानदंडों में एनएसएफ को उनके वार्षिक बजट के कम से कम 20% को उनकी संबद्ध इकाइयों के माध्यम से जमीनी स्तर के विकास के लिए निर्धारित करना सुनिश्चित करने हेतु अधिदेशित किया गया है।

इसके अलावा, सरकार ने खेल विज्ञान को समग्र खेल पारिस्थितिकी तंत्र में बेहतर ढंग से एकीकृत करने के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल विज्ञान और अनुसंधान केंद्र (एनसीएसएसआर) की भी स्थापना की है।

प्रतिभा पहचान का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों और संबंधित एनएसएफ का है। एनएसएफ और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में मंत्रालय खेलो इंडिया स्कीम की खेल प्रतियोगिता और प्रतिभा विकास वर्टिकल के माध्यम से तथा साई राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता स्कीम (एनएसटीसी) और साई प्रशिक्षण केंद्रों (एसटीसी) जैसी खेल प्रोत्साहन स्कीमों के माध्यम से, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान, पोषण और उन्हें तैयार करके अनुपूरक की भूमिका निभाता है।
